संख्या– /33–3–2025

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मंडलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांकः सितम्बर 2025**

विषय– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेन्टर (बी.पी.आर.सी.) के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया संदर्भ में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के मार्गनिर्देशों में पंचायती राज प्रतिनिधियों/ अधिकारियों/कर्मियों के क्षमता संवर्द्धन हेतु विकास खण्डों में ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेन्टर (बी.पी.आर.सी) संचालन की गतिविधि को सम्मिलित किया गया है। इस सम्बंध में भारत सरकार स्तर पर योजनान्तर्गत गठित सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सी.ई.सी.) द्वारा पंचायतों के क्षमता संवर्द्धन हेतु जनपद स्तर पर संचालित 25 जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टरों (डी.पी.आर.सी.) के अतिरिक्त प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड अर्थात 826 ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेन्टर (बी.पी.आर.सी.) संचालन हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम चरण में 413 विकास खण्डों में एक–एक ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेन्टर (बी.पी.आर.सी.) को संचालन पर सहमति प्रदान की है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास खण्ड स्तर पर बी.पी.आर.सी. की स्थापना व संचालन निम्न दिशा–निर्देशानुसार किया जायेगा–

(क) ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेन्टर (बी.पी.आर.सी.) की स्थापना व संचालनः

1. ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेन्टर (बी.पी.आर.सी.) की स्थापना व संचालन के लिए शासनादेश सं0 01/2021–3023/33–3–2020710 जी.आई./2015 टी.सी.–1, दिनांकः 8 जनवरी, 2021 के क्रम में शासनादेश सं0: ।/2066225/2025, दिनांकः 25 अगस्त 2025 द्वारा विस्तारित मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति उत्तरदायी होगी।

2. प्रथम चरण में 413 बी.पी.आर.सी. संचालित किए जाएगें, यदि डी.पी.आर.सी. पूर्व से ही किसी विकासखण्ड में संचालित है तो वहॉ पृथक से बी.पी.आर.सी. की आवश्यकता नही होगी।

3. उक्त ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेन्टर, डी.पी.आर.सी. एवं पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) की विस्तारित इकाई के रूप में कार्य करेंगे।

4. ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेन्टर (बी.पी.आर.सी.) संचालन हेतु चयनित भवन में कम से कम 60 प्रतिभागियों के बैठने एवं प्रशिक्षक के पढ़ाने के लिए जगह के साथ 02 प्रशिक्षण/लेक्चर हॉल कार्यालय कक्ष, महिला/पुरूष के लिए पृथक–पृथक शौचालय, 01 कम्प्यूटर कक्ष के साथ बिजली एवं पेयजल आदि की पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक है। इस प्रकार की सुविधा से युक्त शासकीय/निजी भवनों में बी.पी.आर.सी. का संचालन निःशुल्क/न्यूनतम शुल्क/किराए पर लिया जा सकेगा एवं इस हेतु अधिकतम धनराशि रू0 15000/– का उपयोग बी.पी.आर.सी. संचालन मद से किया जा सकेगा। जिन विकासखण्डों में विभागीय पंचायत उद्योग स्थापित है वहॉ बी.पी.आर.सी. की स्थापना व संचालन सम्बन्धित पंचायत उद्योगों में भी किया जा सकता है।

5. बी.पी.आर.सी. के संचालन हेतु शासनादेश दिनांकः 08 जनवरी, 2021 से गठित मंडलीय समिति के आधीन सम्बन्धित मंडलीय उपनिदेशक (पं0) एवं सहायक विकास अधिकारी(पं0) संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। बीपी.आर.सी. में कार्यरत कर्मियों की हैण्डहोल्डिंग मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) के

निर्देशन में जिला पंचायत राज अधिकारी/जनपद/मंडल/राज्य स्तर के परामर्शी/फैकल्टी द्वारा की जायेगी।

6. बी.पी.आर.सी. के सफल संचालन के लिए विभिन्न घटक यथा– प्रशिक्षण आयोजन भवन किराया, नियमानुसार, फैकल्टी/रिसोर्स पर्सन का मानदेय, प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में आवश्यक उपकरण, कम्प्यूटर, इण्टरनेट, फोन, प्रशिक्षण सामग्री, यात्रा तथा अन्य विविध व्यय/क्रय आदि के नियमित क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मंडलीय उपनिदेशक (पं0) एवं सहायक विकास अधिकारी(पं0) संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे एवं वार्षिक रूप से उक्त की प्रगति से शासनादेश दिनांक 08 जनवरी, 2021 के क्रम में दिनांकः 25 अगस्त 2025 से विस्तारित मंडलीय समिति को अवगत कराया जायेगा।

7. बी.पी.आर.सी. के संचालन में उपयोग में आने वाले प्रशिक्षण के उपकरण हेतु धनराशि आर.जी.एस.ए. की वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(ख) ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेन्टर के दायित्व–

1. बी.पी.आर.सी. में पंचायतीराज विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के साथ–साथ अन्य विभागों से भी सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा तथा इस कार्य का अनुश्रवण डी.पी.आर.सी प्राचार्य/उपनिदेशक (पं0) के निर्देशन में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भी किया जायेगा।

2. विभागीय अथवा गैर विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अर्जित आय विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पं0), बी.पी.आर.सी. के पदनाम से खोले गए पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए खाते में हस्तान्तरित की जाएगी, जिसकी प्राप्ति एवं व्यय का अनुश्रवण डी.पी.आर.सी प्राचार्य/उपनिदेशक (पं0) द्वारा किया जायेगा एवं वार्षिक रूप से उक्त की प्रगति से मंडलीय समिति को अवगत कराया जायेगा।

3. बी.पी.आर.सी. अपने विकासखण्ड में नवीन प्रशिक्षण आवश्यकताओं का चिन्हांकन, एक्सपोजर विजिट की गतिविधियों के संचालन के साथ मॉडल ग्राम पंचायतों को हैंडहोल्डिंग सपोर्ट, नवीन प्रयासों एवं सफलता की कहानियों के दस्तावेजीकरण का कार्य एवं इस हेतु समन्वय का कार्य भी करेगा।

(ग) ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेन्टर के संचालन हेतु अधिकारियों/कर्मियों (मानव संसाधन) की व्यवस्था–

ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेन्टर के संचालन हेतु अधिकारियों/कर्मियों की व्यवस्था–	
विभागीय अधिकारी, प्रशिक्षण केन्द्र	
पंचायती राज विभाग	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), उ0प्र0। (सम्बन्धित विकास खण्डों के)
ब्लॉक फैकल्टी/ट्रेनिंग कोआर्डिनेटर	
चयन	राज्य स्तर से चयनित आउटसोर्सिंग संस्था के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति द्वारा
शैक्षणिक योग्यता एवं सम्बन्धित विवरण	
आवश्यक अर्हता	1. सोशल सांइस संबंधी विषयों में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ परास्नातक। 2. पंचायती राज विभाग के साथ कार्य अनुभव को प्राथमिकता। 3. न्यूनतम आयु– 30 वर्ष, अधिकतम आयु–45 वर्ष। 4. प्रशिक्षण समन्वयक, प्रशिक्षक, सुगमकर्ता व अन्य समान

	कार्यों/भूमिकाओं में न्यूनतम 02 वर्षों का अनुभव। 5. शासकीय/अशासकीय संस्था में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय का अनुभव। 6. एम.एस. ऑफिस प्रवीणता एवं इंटरनेट का ज्ञान।
अधिमानी अर्हता	• पारम्परिक एवं आधुनिक प्रशिक्षण विधियों से परिचित होना। • उत्तम संवाद निपुणता।
मानदेय (सर्विस चार्ज एवं अन्य शुल्क अतिरिक्त से)	रू0 15,001/– प्रति माह।
कार्यालय सहायक/बहुउद्देशीय कर्मी	
चयन	राज्य स्तर से चयनित आउटसोर्सिंग संस्था के माध्यम से समिति द्वारा
शैक्षणिक योग्यता एवं सम्बन्धित विवरण	
आवश्यक अर्हता	आठवीं उत्तीर्ण अथवा आयु अधिकतम 60 साल
मानदेय (सर्विस चार्ज एवं अन्य शुल्क अतिरिक्त से)	रू0 8,000/– प्रति माह।

7. बी.पी.आर.सी. स्तर पर फैकल्टी/ट्रेनिंग कोआर्डिनेटर तथा कार्यालय सहायक का कार्यकाल 01 वर्ष का होगा, जिसको निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा कार्य प्रदर्शन/धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विस्तारित किया जा सकेगा।
8. उक्तानुसार अर्हताओं के अनुरूप आउटसोर्सिंग पद पर कर्मियों की सेवाएं लिये जाने हेतु निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को अधिकृत किया जाता है।
9. मानव संसाधनों का चयन श्रम अनुभाग–5 के शासनादेश सं0–1/295497/2023/छत्तीस/5– 2023–36–5010(099)/32020–5, दिनांक 29 मार्च, 2023 का अनुपालन करते हुए सेवायोजन पोर्टल से, पंचायती राज निदेशालय में जेम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा।
10. चयनित मानव संसाधन बी.पी.आर.सी. में अपनी सेवाएं देंगे एवं बी0पी0आर0सी0 में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आउटसोर्सिंग कर्मियों यथा–कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं लेने हेतु स्वयं की आय स्त्रोत से धनराशि की उपलब्धता होने पर मंडल स्तर से विचार किया जा सकता है। चूंकि बी0पी0आर0सी0 के संचालन हेतु धनराशि आर0जी0एस0ए0 योजना से प्रदान की जा रही है। अतः योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर गठित कार्यकारी समिति के अध्यक्ष/निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 के निर्देशों के अनुरूप इसका संचालन एवं अनुश्रवण निदेशक, पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान, (प्रिट) लखनऊ सुनिश्चित करेंगें।
11. इस प्रकार से बी0पी0आर0सी0 के संचालन हेतु प्रतिवर्ष प्राप्त धनराशि का व्यय एवं उपभोग प्रमाण–पत्र जनपद स्तर से निदेशक, पंचायती राज विभाग उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाएगा।

(घ) ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेन्टर के संचालन हेतु वित्तीय व्यवस्था–

1. आर.जी.एस.ए. योजना अन्तर्गत ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेन्टरों (बी0पी0आर0सी0) के संचालन हेतु एस.एन.ए. प्रक्रिया अन्तर्गत बैंक आफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस सब्सिडरी खाता, जो कि विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेन्टरः..... विकासखण्ड का नाम, ... जनपद के नाम से संचालित होगा।
2. इस प्रकार से खोले गए खाते को सब्सिडरी खाते को डी.पी.आर.सी. द्वारा एंजेसी के रूप में पी. एफ.एम.एस. पर पंजीकृत करते हुए मैप किया जाएगा। खातों का संचालन पी.एफ.एम.एस. पर चेकर– उपनिदेशक(पं0) अथवा प्राचार्य डी.पी.आर.सी. एवं मेकर– सहायक विकास अधिकारी (पं0) अथवा सहप्राचार्य द्वारा संयुक्त रूप से किया जा सकेगा। उक्त खातों में

उपनिदेशक(पं0)/प्राचार्य डी.पी.आर.सी. के माध्यम से प्राप्त वार्षिक आवर्ती लागत (रिकरिंग कॉस्ट) के उपयोग से बी.पी.आर.सी. का संचालन किया जा सकेगा।

3. यदि भारत सरकार द्वारा योजना के योजना के संचालन में अन्य कोई वित्तीय व्यवस्था प्रावधानित की जाती है तो उस पर निर्णय लेते हुए बी.पी.आर.सी. के संचालन का निर्णय निदेशक, पंचायती राज के स्तर से लिया जा सकेगा।
4. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बी.पी.आर.सी. हेतु अन्तरित लिमिट के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्र मंडलीय उपनिदेशक(पं0) के माध्यम से निदेशक, पंचायती राज को प्रस्तुत किया जायेगा।

(ड़) बी.पी.आर.सी. के संचालन हेतु चरणवार विकासखण्डों का चयन पर निर्णय भारत सरकार से प्राप्त धनराशि की उपलब्धता के अनुसार निदेशक, पंचायती राज द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार समस्त विकास खण्डों में ब्लाक पंचायत रिसोर्स सेन्टर (बी.पी. आर.सी.) का सफलतापूर्वक संचालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Digitally signed by
ANIL KUMAR
Date: 23-09-2025
17:20:18

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 5/ /1/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार,।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ।
5. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
12. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0), उ0प्र0।

आज्ञा से,

Digitally signed by
JAI PRAKASH PANDEY
Date: 24-09-2025
18:31:36

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।